राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन:– 2708739 E-mail: rajssa.cce@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/SIQE/विशेष शिक्षण/ /2018–19/ 5223 दिनांक :21/8/18

कक्षा 6 में शैक्षिक स्तर से न्यून विद्यार्थियों हेतु विशेष शिक्षण गतिविधि संचालन दिशा–निर्देश सत्र 2018–19

सत्र 2017–18 में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 'जिला स्तरीय प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा' का आयोजन किया गया था। इस क्रम में सत्र 2018–19 की कार्ययोजना में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से गत वर्ष कक्षा 5 की मूल्यांकन परीक्षा में बी, सी, एवं डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जोकि इस वर्ष कक्षा 6 में अध्ययनरत है; ऐसे विद्यार्थियों के साथ नवीन शिक्षण विधा से विशेष शिक्षण करवाते हुए उन्हें कक्षा स्तर तक लाने हेतु विशेष शिक्षण व्यवस्था का संचालन का कार्य किया जाना है। इस बाबत गतिविधि **'Special classes for class 6 (Quality intervention)'** के प्रभावी संचालन एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु राज्य के समस्त 32776 विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विभाग) की कक्षा 6 में कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

1) उद्देश्य –

1. विद्यार्थियों के कक्षा स्तर अनुरूप शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि के प्रयास करना।
2. सभी विद्यार्थियों को अधिगम सम्प्राप्ति अनुरूप तैयार करना।
3. लर्निंग गैप को न्यूनतम स्तर तक लाना।
4. कक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना।

2) विद्यार्थी चयन का आधार –

1. सत्र 2017–18 में कक्षा 5 हेतु आयोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा में विषयवार 'B', 'C' अथवा 'D' ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता देते हुए इस गतिविधि में सम्मिलित किया जायेगा।
2. कक्षा 6 में नवीन प्रवेश अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण जिनका शैक्षिक स्तर कक्षा 5 के स्तर से न्यून है, ऐसे छात्र–छात्राओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।
3. आवश्यकतानुसार A+ एवं A ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों का उक्त विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन में सहयोग प्राप्त किया सकता है।

3) शिक्षण समायावधि / कालांश निर्धारण –

1. विद्यार्थियों के साथ **विशेष शिक्षण कार्य सत्रारम्भ की प्रथम तिमाही में नियमित लगभग 70 कार्य दिवस** तक संचालित किया जाना है।
2. विशेष कक्षाओं का आयोजन **विद्यालय समय विभाग चक्र में निदानात्मक शिक्षण हेतु निर्धारित पाँच कालांशों** में किया जाएगा।
3. शिक्षण कालांश विभाजन में **कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु निर्धारित कालांशों में भी आवश्यकता अनुसार उप समूह के बच्चों के साथ (70 दिवस तक)** विशेष शिक्षण कार्यक्रम पर कार्य किया जा सकता है।
4. यदि विद्यालयों में चारों विषयों का विशेष शिक्षण कार्य किया जाएगा तो दो–दो विषय का प्रतिदिन एकान्तर क्रम में अध्यापन कार्य करवाया जाए।
5. यदि विद्यालय में दो विषयों हेतु विशेष शिक्षण कार्य का संचालन होगा तो प्रतिदिन दोनों विषय का अध्यापन कार्य किया जाए।
6. प्रारम्भिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों के आधार पर विद्यालयवार शिक्षक स्वयं से सम्बन्धित विषय के उप समूह बनाकर कार्य करेंगे।

www.rajteachers.com

4) अध्यापन कार्य व्यवस्था –

1. विशेष कक्षाओं के **शिक्षण कार्य में मुख्य भूमिका विभाग द्वारा नियुक्त बीएसटीसी/बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों (इन्टर्न)** की रहेगी। किन्तु अकादमिक सम्बलन एवं मॉनीटरिंग का पूर्ण दायित्व कक्षा 6 में पढ़ा रहे विषय अध्यापक एवं संस्थाप्रधान का होगा।
2. जिन विद्यालयों में बीएसटीसी/बी.एड. प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं होते है, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में अध्यापन कार्य करा रहे कक्षा 6 के विषय अध्यापक ही शिक्षण कार्य करवाएँगे।
3. विशेष शिक्षण कार्य आरम्भ करने से पूर्व बच्चे का शैक्षिक स्तर का आकलन/मूल्यांकन किया जाएगा।
4. विद्यालयों मे विशेष शिक्षण कार्य उपयोग हेतु दी जाने वाली सामग्री निम्नप्रकार रहेगी –
   - **शिक्षकों के लिए** – **विषयवार शिक्षक सन्दर्भ पुस्तिका।**
   - **विद्यार्थियों के लिए** – **विषयवार विद्यार्थी प्रगति एवं उपलब्धि पुस्तिका (प्रति विद्यार्थी एक)**
   - **विषयवार अभ्यास कार्य पुस्तिका (प्रत्येक विद्यार्थी हेतु)**
5. विशेष शिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की उपस्थिति पृथक से रजिस्टर में संधारित की जाए।

5) गतिविधि का संचालन एवं प्रक्रिया –

1. कक्षाओं का संचालन सीसीपी/एबीएल/सीसीई गतिविधि आधारित किया जाएगा।
2. **शिक्षण कार्य गतिविधि आधारित सुनिश्चित करने हेतु दैनिक / साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाकर तदनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।**
3. विशेष शिक्षण कार्य का आकलन करते हुए परिणाम की समीक्षा की जाए तथा बच्चे की प्रगति को 'डी' से 'सी', 'सी' से 'बी' तथा 'बी' से 'ए' ग्रेड तक लाने का प्रयास अनिवार्यतः किये जाए।
4. **शिक्षक सन्दर्भ पुस्तिका में दी गई योजना एवं गतिविधियों के आधार पर शिक्षक एक गतिविधि स्वयं करवाकर 'मेरी अभ्यास पुस्तिका' में दिये गए कार्य प्रत्रक पर अभ्यास कार्य देगा। इसके पश्चात विद्यार्थी की समझ विकसित होने पर साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा।** इस हेतु साप्ताहिक मूल्यांकन प्रत्रक 'विद्यार्थी प्रगति एवं उपलब्धि रजिस्टर' में दिये गये है।
5. शिक्षक का यह दायित्व है कि विद्यार्थी की प्रगति का नियमित आकलन / मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें।

6) संस्था प्रधान /विषय अध्यापक के दायित्व –

1. संस्था प्रधान की भूमिका शिक्षण के साथ–साथ सम्बलनकर्ता के रूप में रहेगी।
2. संस्था प्रधान नियमित कक्षाओं को सम्बलन प्रदान करें एवं निर्धारित प्रपत्र में आंकलन करते हुए टिप्पणी दर्ज करें।
3. विद्यार्थियों की विशेष शिक्षण कालांश में नियमितता एवं ठहराव पर समय–समय पर अभिभावक से चर्चा करें।
4. विशेष शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को एसएमसी/एसडीएमसी के साथ चर्चा कर समाधान के प्रयास करें।
5. एसएमसी/एसडीएमसी एवं अभिभावकों से विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करें।
6. शिक्षण कार्य में विषय अध्यापक नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहकर इन्टर्न को मार्गदर्शन एवं सहयोग करें।
7. आवश्यक सभी दस्तावेज़ों के संधारणका कार्य विषय अध्यापक द्वारा किया जाएगा।
8. छात्राध्यापकों (इन्टर्न) के आन्तरिक मूल्यांकन के निर्धारण में संस्था प्रधान इन्टर्न द्वारा किए गए विशेष शिक्षण कार्य की प्रगति के आधार पर अभिशंषा करेंगे।
9. इन्टर्न के बीएड /बीएसटीसी के कोर्स में आन्तरिक मूल्यांकन के निर्धारण में विशेष शिक्षण में सहयोग की प्रगति को प्राथमिकता दी जाए।

7) संधारित किए जाने वाले दस्तावेज़ –

1. **विशेष शिक्षण कार्य में निम्न दस्तावेज़ों का संधारण किया जाएगा –**
   - **पाठ योजना** – इन्टर्न विषय अध्यापक की सहायता से शिक्षण कार्य से पूर्व दैनिक/ साप्ताहिक पाठ योजना का निर्माण।
   - **शिक्षण कार्य योजना** – अधिगम स्तर सम्प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण शिक्षण कार्य योजना।
   - **विद्यार्थी प्रगति एवं उपलब्धि रजिस्टर** – साप्ताहिक, मध्य मूल्यांकन एवं समग्र मूल्यांकन का संधारण।

www.rajteachers.com

8) मॉनीटरिंग–

- गतिविधि के प्रभावी संचालन हेतु सम्बन्धित बीईईओ/पीईईओ नियमित अवलोकन एवं सम्बलन प्रदान करें।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप विषयवार कक्षाओं का संचालन की समीक्षा संस्थाप्रधान, पीईईओ एवं एसएमसी/ एसडीएमसी द्वारा नियमित की जाए।
- ब्लाक एवं जिला स्तर (प्रा.शि.एवं मा.शि.) के अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग की जायेगी।
- अकादमिक सम्बलन का दायित्व डाइट एवं एसआईईआरटी उदयपुर का होगा।
- DAG/DCG की मासिक बैठकों में गतिविधि की प्रगति की समीक्षा की जाए।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर

क्रमांकः–रास्कूलशिप/जय/SIQE/विशे.शिक्षण/2018–19/5224 दिनांकः 21/8/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज0, बीकानेर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय स्तर से प्रभारी जिला अधिकारियों के जिला भ्रमण के दौरान उक्त गतिविधि की मॉनीटरिंग/सम्बलन प्रदान करने हेतु पावन्द करें।
5. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय स्तर से प्रभारी जिला अधिकारियों के जिला भ्रमण के दौरान उक्त गतिविधि की मॉनीटरिंग/सम्बलन प्रदान करने हेतु पावन्द करें।
6. निजी सहायक, निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
7. निजी सहायक अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. उपायुक्त/उपनिदेशक, आईसीटी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को को पत्र प्रेषित कर लेख है कि जिला भ्रमण के दौरान उक्त गतिविधि की मॉनीटरिंग/ सम्बलन प्रदान करें।
11. एसआईक्यूई कार्यक्रम प्रभारी, निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर उक्त गतिविधि की नियमित मॉनीटरिंग करना सुनिश्चित करें।
12. उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, समस्त संभाग।
13. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
14. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0/माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
15. जिला/अति0 जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, समस्त जिले।
16. जिला/अति0 जिला परियोजना समन्वयक, रमसा, समस्त जिले।
17. प्रधानाचार्य एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ग्राम पंचायत।
18. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर